न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 19 / 2024
निर्णय दिनांक : 02.05.2024
GCMS NO : 2024/63

सोनी सिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मालासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ....वादी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान ....प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 92 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता कैलाश गुलेरिया उपस्थित
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खसरा संख्या 380 / 319 रकबा 6.8535 हैक्टेयर वाके रोही मालासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया है।

यह कि वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत का विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी का नाम सोनी सिंह की वजाय सोहनसिंह अंकित कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम सोनी सिंह है। वादी का नाम आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय द्वारा जारी स्थानान्तरण पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में वादी का नाम सोनी सिंह है। इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वोह वादगत खेत के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम सोहनसिंह की बजाय सोनी सिंह संशोधन करवाये जिसके लिए वह काननून अधिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी के समक्ष वादगत खेत में अपना नाम दुरस्त करवाने का निवेदन किया परन्तु उन्होने मना कर दिया। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानियां व असुविधाएं हो रही है

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

इसलिए वादी अपना वास्तविक नाम दस्तावेजों के आधार पर सोहनसिंह की बजाय सोनी सिह अंकित करवाये।

वादी का वाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही मालासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है इसलिए वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम वादगत भूमि में सोहनसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम सोनीसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज है। सोनीसिंह व सोहनसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोनीसिंह पुत्र किशनसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय द्वारा जारी स्थानान्तरण पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजात की प्रति आदि में भी नाम शिवपाल पुत्र रामूराम ही है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न परेशानियों का सामना करना प्रतीत होता है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 380/319 रकबा 6.8535 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मालासी में दर्ज सोहनसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी मालासी खातेदार के स्थान पर सोनीसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी मालासी खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। निर्णय की प्रति प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़